THE
PARLIAMENTARY DEBATES
(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)
OFFICIAL REPORT

Acc. No. 2529
Date 27.11.2

HOUSE OF THE PEOPLE

Monday, 26th April, 1954

The House met at a Quarter Past Eight of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

QUESTIONS AND ANSWERS

(See Part I)

9-15 A.M.

PAPERS LAID ON THE TABLE

RECONSTITUTION OF MADRAS PORT TRUST BOARD AND CALCUTTA PORT COMMISSION

The Deputy Minister of Railways and Transport (Shri Alagesan): I beg to lay on the Table a copy of each of the following papers, in pursuance of an undertaking given by the then Minister of Transport during the discussion of the Bombay, Calcutta and Madras Port Trusts (Constitution) (Amendment) Bill on the 17th August, 1948:

(i) Ministry of Transport Notification No. 9-PI(250)/53, dated the 15th February, 1954. [*Placed in Library. See* No. S-125/54.]

(ii) Statement showing the redistribution of seats of elected commissioners on the Calcutta Port Commission. [*Placed in Library. See* No. S-126/54].

(iii) Ministry of Transport Notification No. 13-PI(124)/53, dated the 15th February, 1954. [*Placed in Library. See* No. S-127/54.]

(iv) Statement showing the redistribution of seats of elected trustees on the Madras Port Trust. [*Placed in Library. See* No. S-128/54]

ABSORBED AREAS (LAWS) BILL —*concld.*

Mr. Speaker: The House will now proceed with further consideration of the following motion moved by Dr. Katju on the 24th April, 1954, namely:—

"That the Bill to extend certain laws to the areas which, prior to the commencement of the Constitution, were administered as excluded or partially excluded areas and which, on such commencement, were absorbed in certain States, as passed by the Council of States, be taken into consideration."

श्री जजवाड़े (संथाल परगना व हज़ारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, परसों जब मैं इस बिल पर बोल रहा था तो इस बिल को लाते हुए हमारे गृह मंत्री डाक्टर काटजू ने हमें और सदन को बतलाया था कि यह एक बिल्कुल निर्विवाद बिल है और यह कौंसिल आफ स्टेट में पास हो चुका है और उन्होंने आशा प्रकट की थी कि यह एक मिनट में ही स्वीकार हो जायेगा । मैंने दुःख प्रकट करते हुए कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद और विधान

[श्री जजवाड़े]

की मंजूरी होने के बाद भी इस उपेक्षित ऐरिया को अभी भी उपेक्षित ही समझा जा रहा है और मेरी दृष्टि में स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स में जैसा बतलाया गया है उसके अनुसार बिल नहीं बनाया गया है । महोदय, हम लोग जो इस देश के रहने वाले हैं इस नीति को मानते हैं :

हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः

कोई हित की बात अप्रिय भी हो, या कुछ दुर्लभ भी प्रतीत होती हो, तो भी हमारे नीतिकारों ने बतलाया है कि :

स किं सखा यस्तु न शास्ति सोऽधिपं,
हितान्न यः संशृणुते स किं प्रभुः ।

वे सदस्य बुरे हैं जो सच्ची बात सदन के सामने नहीं रखते और वे शासक वर्ग भी बुरे समझे जाते हैं जो उन बातों को नहीं सुनते, हमारी तो यह मान्यता है । कानून की पेचीदा बातों को हम नहीं जानते, हम इस बात को मानते हैं कि इस देश में योग्यतम कानून हमारे अधिकारी वर्ग बनायें उनको इसका पूरा अधिकार है और साथ ही यह भी उचित है कि कानून के नियम और परिस्थिति के अनुसार उन पर आचरण करें, पर जो बात लोगों में स्वाभाविक रूप से रक्खी जाती है, उसे उसी प्रकार इनके सामने रख देने का काम हमारे जिम्मे है। महोदय स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स् में यह स्पष्ट बताया गया है कि

'it is considered necessary...'

अन्तिम लाइन पढ़े देता हूं । हमारे यहां जो भी कानून बनाया जाता है उसमें यह उल्लेख करना पड़ता है कि यह इस ज़िले के लिए लागू होगा या नहीं होगा । एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड ऐरिया कोई भी कानून उल्लेख किये बगैर उस ऐरिया में लागू नहीं होता । इसी केन्द्रीय शासन के जो कानून हैं उनको समान रूप से लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने यह मंशा ज़ाहिर की :

"it is considered necessary that all Central laws should operate therein uniformly. The Bill seeks to achieve this purpose."

इस समानता के साथ जब यहां इस तरह के कानून लागू करने का विचार है तो मैं नहीं समझता कि केवल एक ही ला संथाल परगना के सिर्फ दो डिवीज़न में ही क्यों लागू हो । संथाल परगना के दो ही सब-डिवीज़न में क्यों लागू किया जाता है और क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार के सभी ला यूनिफार्मिटी के साथ समूचे भारत में क्यों नहीं लागू होते ? मेरे ख्याल से इस में एक वैधानिक बात भी आजाती है । विधान पास होने के बाद जहां लोकमत के आधार पर यह ऐलान किया गया है कि जनता के मौलिक अधिकार सम्बन्धी जो कानून बनाये जाते हैं, वे सब वर्गों के लिये समान रूप से लागू किये जायेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रान्त और इस वर्ग के लोग इससे क्यों वंचित रक्खे जाते हैं और इसी लिये मैं ने इस पर एक संशोधन भी दिया था और मैं समझता हूं कि यदि सरकार की और कोई मंशा न हो तो सरकार को बिना किसी संकोच के मेरे उस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये । मेरे ख्याल में सरकार के दिमाग पर अभी भी पुरानी बातों का ही असर विद्यमान है, वे समझते हैं कि ये पिछड़े हुए भूभाग के निवासी जिसमें २२ लाख की आबादी पांच हज़ार वर्ग मील के दायरे में फैले हुए हैं वह एक ऐसा हल्का है जो पिछड़े वर्गों के बाशिन्दों से भरा हुआ है । यह भ्रम जो अंग्रेज़ी सरकार ने हमारे अन्दर प्रवेश कराया उसे हम अभी भी ढोते जा रहे हैं । सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं कि संथाल परगना का नाम भ्रमोत्पादक है क्योंकि संथाल परगने

के नाम से यह समझा जा सकता है कि वह ज़िला और वह हलका केवल सन्थाल लोगों का ही निवासस्थान है, ऐसी बात नहीं है। संथाल ही वहां के सर्व प्रथम आदिवासी हैं, ऐसी बात भी नहीं है। इतिहास आपको यह बतला देगा कि १७९० से लेकर सन् १८१० के काल में सन्थाल परगना में संथाल लोगों का प्रथम प्रवास हुआ और उस हलके में जहां जंगली इलाका था उसको साफ करके उन्होंने आबाद किया और सन्थाल लोग काफी परिश्रमी और उन्नतिशील थे और जब उन्होंने वहां पर प्रवेश किया तो उन्होंने अपने परिश्रम से उस इलाके को जो जंगली इलाका था साफ किया और उसको आबाद किया। अंग्रेज़ों ने अपने शासन काल में अपने स्वार्थ हेतु दामीन हलके में उनको रक्खा, उसी इलाके में उनका कंसट्रेशन कराया और केवल संथाल लोगों को उस इलाके में बसाया और अंग्रेज़ों ने अपनी उसी प्रसिद्ध नीति 'फूट डालो और शासन करो' की नीति उनके सम्बन्ध में अपनाई। अंग्रेज़ों ने उसी फूट डालने वाली और वर्ग संघर्ष को कायम करने की नीति अपनाई और वहां के आदि निवासियों और संथालों के बीच में द्वेष भावना का प्रचार करना आरम्भ किया और इस फूट डालने वाली नीति के बल पर अपनी हुकूमत को इस देशवासियों पर कायम रखना चाहा। आप जानते ही हैं कि सन्थालों की उन्नति के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं लेकिन अंग्रेज़ी शासन काल में १५०, २०० वर्षों में उन्हें शिक्षित बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया और वह इलाका और वहां के बसने वाले केवल कुलियों के जमा करने का डिपो ही बन कर रह गया। अंग्रेज़ी शासन काल में हमने देखा कि वहां के लोगों को शिक्षित और सभ्य बनाने के नाम पर उस इलाके को ईसाई मिशनरियों का अड्डा बनाया गया और हमारे संथाल भाई जो चरित्र की दृष्टि से बहुत ऊंचे थे उनके चरित्र को भी गिराया गया। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस भ्रम में न रहें कि सन्थाल परगना केवल एक ऐसे वर्ग की जमात है जो कि बिल्कुल असभ्य और पिछड़े हुए हैं, मैं आपको और सदन को बतलाना चाहता हूं कि संथाल परगना की ख्याति पुराणों में मिलती है और यह हिन्दु संस्कृति का एक प्रसिद्ध स्थान रहा है और यहां का वैद्यनाथ धाम विख्यात है। संथाल परगना पिछड़ा हुआ भाग नहीं है वह काफी सभ्य और प्रगतिशील रहा है।

Mr. Speaker: He need not go into the entire historical aspect.

श्री जजवाड़े : इस सब को बतला कर मैं तो यह सिद्ध करना चाहता था कि सन्थाल परगना पिछड़ा भाग नहीं है और उसकी सभ्यता काफी पुरानी है।

Mr. Speaker: That is all right. His amendment is that the law should be applied to the entire area. He can speak when the amendment is under consideration. He need not go into all those details now.

श्री जजवाड़े : मैं यह बता रहा था कि संथाल परगने के अन्दर जो कि पिछले समय में उन्नत रहा है, अभी तक इस एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा है। राजमहल सब-डिवीजन जो कि सभ्यता का शिरोमणि रहा है, उस में इसे लागू नहीं किया जा रहा है, जामताड़ सब-डिवीजन जो कि दामीन एरिया नहीं है, जहां बहुत कम संख्या में आदिवासियों का निवास है वहां, इस ऐक्ट को लागू नहीं किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि स्वाधीनता के बाद इस प्रकार से इस क्षेत्र की उपेक्षा करने का कोई कारण हो सकता है। जो मनोवृत्ति अंग्रेज़ों के सामने थी, अगर वह नहीं है, और मेरे विचार में अब वह नहीं है, तो समूचे हल्के को उन्नत बनाने के ख्याल से, जैसा कि स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में लिखा हुआ है, समस्त हल्के में इस विधान को लागू

[श्री जजवाड़े]

करना चाहिये । केन्द्रीय सरकार का कानून इस समस्त भूभाग पर लागू होने पर हम लोगों को आशा बंधेगी । मैं यह निवेदन करूंगा, आप ने, अध्यक्ष महोदय, मना किया, मैं आपकी आज्ञा की मानता हूं कि इस ऐक्ट का क्षेत्र सीमित है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय, हमारे गृह मंत्री महोदय, मन में इस बात को अच्छी तरह से जानें कि संथाल परगना अभी भी किस प्रकार उपेक्षित हो रहा है । मैं उन के मन में इस बात को बैठाना चाहता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संथाल परगने के प्रतिनिधियों के आप के पास रहने के बाद भी संथाल परगने की उन्नति न हो सकी तो जैसा कहा गया है कि रत्नाकर के पास रह कर भी अगर कोई दरिद्र रहता है तो उस में दोष उस मनुष्य का नहीं होता है, दोष रत्नाकर का है, इसी तरह से दोष संथाल परगने वालों का नहीं होगा । मैं निवेदन करूंगा कि आप उन की स्थिति को जानें और उन सब की तरक्की की चेष्टा करें । मैं समझता हूं कि आप उन की स्थिति को जान कर इस कानून को वहां पर ज़रूर लागू करेंगे । मैं इसी आशा से आप के सामने उन के प्रतिनिधि की हैसियत से आवाज़ उठा रहा हूं पहले उनके प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन अब मैं समझता हूं कि इस जिले से हम तीन प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं, और तीनों ही एक स्वर से इस आवाज़ को लगायेंगे । मैं तो आप को विस्तार से सारी बात बताना चाहता था परन्तु शायद समय अधिक नहीं है, आप रोक भी दीजियेगा । यदि मौका मिला तो ऐमेन्डमेन्ट पेश करने के समय मैं कुछ कहूंगा । लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि यह काम बहुत अयुक्तिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और मेरे संशोधन को मान लेना चाहिये ।

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

SEARCH OF INDIAN COMMISSIONER'S OFFICE IN NAIROBI DURING ROUND-UP OF MAU-MAU SUSPECTS

Mr. Speaker: I have received notice, under Rule 215 from Shri Joachim Alva, calling the attention of the Prime Minister to the following matter of urgent public importance and requesting that he may make a statement thereon:—

> "The reactions of the Government of India in regard to the search of the Indian Commissioner's office during the mass round-up of Mau-Mau suspects during the last week."

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Defence (Shri Jawaharlal Nehru): This incident which took place the day before yesterday in Nairobi is of a very grave nature. I have not got the details, but such as I have, I shall place before the House. In the course of this so-called mass round up in Nairobi, troops entered our Commissioner's Office in Nairobi. The acting Commissioner was not present then, but there were other persons of the staff. Some of the members of the staff were manhandled, and one or two drawers, almirahs and the like were broken in, and all the African members of the staff were arrested and taken away. Subsequently, this matter was brought to the notice of the Acting Governor, and, to quote his own words, he offered his "most humble apologies" and said that he has ordered an immediate enquiry in addition to the one which was being conducted by the military. He said that the incident took place due to a serious omission in the instructions given to military forces that consulate premises should be respected, and this was being rectified. He also promised that priority in screening will be given to the detained African